न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 265/2023

दायर दिनांक 25.07.2023

निर्णय दिनांक 26.09.2023

उनवान

1. श्री भैरूदास पिता बालूदास बैरागी निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री धन्नादास पिता बालूदास बैरागी निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्रीमति नन्दु बाई पत्नी बालूदास बैरागी निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री कल्याणदास पिता मथुरादास बैरागी निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री बंशी पिता उदा प्रजापत निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्रीमति कमला त्नि श्यामलाल प्रजापत निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
4. माधु पिता छोगा प्रजापत निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
5. मीठू पिता छोगा प्रजापत निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
6. लक्ष्मण पिता रूपलाल कीर निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
7. बंशीदास पिता मथुरादास बैरागी निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
8. कन्हैयालाल पिता अमरचन्द दास बैरागी निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
9. राजुलाल पिता अमरचन्द दास बैरागी निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
10. श्रीमति शांति देवी पत्नि अमरचन्ददास बैरागी नि0 मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
11. सोहनलाल पिता अमरचन्ददास बैरागी नि0 मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
12. राजसथान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थीगण केदार वैष्णव
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मण्डपिया प0ह0 मण्डपिया भू–अभिलेख निरीक्षक्ष क्षैत्र आटूण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 336 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 1139/2 रकबा 0.1265 है0, आ0नं0 1140 रकबा 0.0632 है0, आ0नं0 164/2 रकबा 0.0126 है0 किता 03 कुल रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है।

और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह सीपित किया जावे। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण आदिनांक को बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा मण्डपिया प0ह0 मण्डपिया भू–अभिलेख निरीक्षक्ष क्षैत्र आटूण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 336 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 1139/2 रकबा 0.1265 है0, आ0नं0 1140 रकबा 0.0632 है0, आ0नं0 164/2 रकबा 0.0126 है0 किता 03 कुल रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा